

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण पोषण (क्रिमिनल) वाद संख्या 96/2025

रुबी देवी एवं अन्य.....आवेदिका।

बनाम

कार्तिक साह.....विपक्षी।

आदेश

दिनांक 22.05.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है।

वाद की पुकार की गई। पुकार पर उभय पक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभय पक्ष के बीच समाधान की कार्यवाही की गई। समाधान पूर्णतः सफल रहा। समाधान के क्रम में उभय पक्षों ने अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें आवेदिका ने कहा है कि उसका विपक्षी पति के साथ समझौता हो गया है, विपक्षी ने उसे आश्वासन दिया है कि हर महीने भरण पोषण हेतु दो हजार रूपया उसे दिया जाएगा। सुलह के आधार पर इस केस को समाप्त कर देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी द्वारा भी कहा गया है कि उसकी पत्नी आवेदिका अपने नाम से बैंक खाता खुलवा लेगी तो वह हर महीने दो हजार रूपया भरण पोषण हेतु आवेदिका के खाता में भेजता रहेगा। सुलह के आधार पर इस केस को वह समाप्त करना चाहता है। उभय पक्ष अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते क्योंकि इस वाद को चलाने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। उभय पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में अपना अपना बयान दर्ज कराया है।

वाद का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत यह विदित होता है कि यह केस बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के अन्तर्गत आवेदिका पत्नी के द्वारा अपने पति विपक्षी से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष साथ रह रहे हैं एवं ससम्मान बिना किसी दबाव के

इस वाद में समाधान के आधार पर कार्यवाही को समाप्त करना चाहते हैं।

अतः समाधान के आलोक में विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदिका के खाता में प्रतिमाह (2,000/—) दो हजार रुपया बतौर भरण पोषण की राशि प्रत्येक माह के दस तारीख तक जमा करेगा। यह समझौता दिनांक 22.05.2026 यथा आदेश की तिथि से मान्य होगा।

यदि विपक्षी समाधान की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो आवेदिका विधिक प्रक्रिया के अनुसार भरण पोषण की राशि वसूल करने हेतु पुनः वाद लाने की अधिकारीणी होगी।

ऐसी परिस्थिति में इस वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः वाद को समाधान की सफल कार्यवाही के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, मुंगेर।

Date of Judgment/order	22-05-2026
Date of Reserving Judgment/order	22-05-2026
Uploading Date	25-05-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)